जनपद न्यायालय सुलतानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से दफ्तरी एवं बण्डल लिफ्टर के संवर्ग में प्रोन्नति हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक-04.11.2026

1. परीक्षा की कुल अवधि, समय व स्थल:

दिनांक-04.11.2026 को आयोजित परीक्षा शाम 4.30 बजे से प्रारम्भ होगी। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। सर्वप्रथम प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी जिसका परीक्षास्थल 12 कक्षीय न्यायालय भवन के प्रथम तल पर पश्चिम दिशा से द्वितीय रिक्त कोर्ट रूम जनपद न्यायालय सुलतानपुर होगा। हिन्दी पाठन परीक्षा उसके **पश्चात हिन्दी श्रुतलेख परीक्षा हेतु परीक्षास्थल जनपद न्यायालय** सुलतानपुर का मीटिंग हॉल होगा।

2. परीक्षा का चरण निर्धारित समय:

- फाइल बाइंडिंग व नत्थी व लिफाफा बनाने हेतु **45 मिनट**
- देवनागरी लिपि में हिन्दी पठन (Reading) प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए **2 मिनट**
- देवनागरी लिपि में हिन्दी श्रुतलेख (Dictation) **15 मिनट**

3. देवनागरी लिपि पठन (Reading Test) - 10 अंक

- प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 शब्दों का देवनागरी लिपि गद्यांश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को पठन के लिए अधिकतम 2 मिनट का समय दिया जाएगा।
- प्रत्येक शुद्ध शब्द के लिए 0.10 अंक प्रदान किए जाएंगे।
- मूल्यांकन शुद्ध उच्चारण व स्पष्टता व निर्धारित समय में पठन के आधार पर किया जाएगा। पठन परीक्षा प्रत्येक परीक्षार्थी से अलग-अलग ली जाएगी।

4. देवनागरी लिपि श्रुतलेख (Dictation) – 15 अंक

- हिन्दी श्रुतलेख के लिए 100 शब्दों का देवनागरी लिपि गद्यांश ।
- प्रत्येक शुद्ध शब्द के लिए 0.15 अंक प्रदान किए जाएंगे।
- अशुद्ध, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट लिखे गए शब्दों के लिए अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

5. फाइल नत्थी व बाइंडिंग व लिफाफा बनाने का प्रायोगिक परीक्षा- 25 अंक

- उपरोक्त प्रायोगिक परीक्षा के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा।
- परीक्षार्थियों को प्रदत्त प्रपत्रों/पत्रावली को नत्थी करते समय प्रपत्रों का निर्धारित क्रम, पृष्ठों की क्रमबद्धता, उचित स्थान पर नत्थी करना होगा।
- फाइल की नत्थी व बाइडिंग हेतु 10 अंक प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को दो लिफाफा (एक छोटा व एक बड़ा) बनाना व सीलबन्द करना होगा जिसके लिए क्रमशः 5 व 10 नम्बर प्रदान किये जायेंगे।

6. अन्य आवश्यक निर्देश

- लिखित परीक्षा में केवल नीली अथवा काली स्याही वाले पेन का प्रयोग अनुमन्य होगा। पेंसिल अथवा किसी अन्य रंग की स्याही का प्रयोग वर्जित होगा।
- परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा किसी अन्य अनधिकृत सामग्री का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- अभ्यर्थी/परीक्षार्थी परीक्षास्थल पर नियत दिनांक-04.11.2026 को निर्धारित समय शाम 4.30 बजे से 15 मिनट पूर्व प्रायोगिक परीक्षास्थल पर उपस्थित होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के उपरान्त समस्त उपस्थित परीक्षार्थी मीटिंग हॉल में हिन्दी पाठन व श्रुतलेखन परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे जहां पर भी उनकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- प्रायोगिक परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले समस्त आवश्यक वस्तु परीक्षास्थल पर परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- समस्त अभ्यर्थी न्यायालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र लेकर परीक्षा में उपस्थित होंगे।
- हिन्दी श्रुतलेखन हेतु अभ्यर्थीगण हार्डबोर्ड/दफ्ती अपने साथ लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे।
- परीक्षार्थी अपने नाम, अनुक्रमांक (Roll Number) तथा अन्य आवश्यक विवरण केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकित करेगा।
- उत्तर-पत्र पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक लेखन, चिन्ह, हस्ताक्षर या पहचान चिह्न अंकित करना निषिद्ध है।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षार्थी आपस में बातचीत अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी सामग्री का आदान-प्रदान नहीं करेगा। परीक्षार्थी को उत्तर-पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थी किसी दूसरे परीक्षार्थी की सहायता नहीं करेगा तथा न ही सहायता लेंगे।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात किसी अन्य परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका शीट देखना या दिखाना निषिद्ध होगा। परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की पुस्तक, नोट्स, पर्ची, लिखित सामग्री या अनुचित सहायता सामग्री परीक्षा कक्ष में नहीं रखेगा।
- पाठन प्रायोगिक परीक्षा में अभ्यर्थी दिये गये गद्यांश को पढ़ने के बाद परीक्षा कक्ष में ही रुका रहेगा। परीक्षा कक्ष में पाठन कार्य क्रमवार किया जायेगा। अभ्यर्थियों को पाठन कार्य हेतु क्रमवार बुलाया जायेगा। जब समस्त अभ्यर्थियों का पाठन समाप्त हो जायेगा तब हिन्दी श्रुतलेखन परीक्षा होगी।
- परीक्षा समाप्त होने की घोषणा के पश्चात परीक्षार्थी तुरन्त लिखना बंद करेगा और उत्तर-पत्र निरीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाएगा।
- **उपरोक्त निर्देश माननीय जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर व नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये तथा सिस्टम ऑफिसर उक्त को जनपद न्यायालय के आधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड कराना** सुनिश्चित करें।

2/11/26

सुश्री प्रियंका दिवाकर,
सिविल जज (जू०डि०), एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), सुलतानपुर।
(सदस्य)

02/11/2026

स्वतन्त्र प्रकाश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०-II, सुलतानपुर।
(अध्यक्ष)